

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, बरेली

वाद संख्या 62/08-09

घारा 143 जैड ए एल आर एकट  
ग्राम रिठौरा तहसील व जिला बरेली

जीत स्मारक ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता वनाम सरकार

नकल निर्णय

कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी जाँच तहसीलदार सदर से करायी गई तहसीलदार सदर ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 11-08-2008 में अंकित किया है कि ग्राम रिठौरा के गाटा संख्या 2212 रक्वा 0.696, 2213 रक्वा 0.008, 2214 रक्वा 0.008, 2215 रक्वा 0.008, 2216 रक्वा 0.008, 2222 क रक्वा 0.392, 2222 ख रक्वा 0.392, 2223 रक्वा 1.404, 2224 रक्वा 0.700, 2225 रक्वा 0.457, 2226 रक्वा 0.893 पर जीत राम स्मारक ट्रस्ट वी-19 एकतानगर बरेली द्वारा अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र स्व० जीतराम निवासी 19 एकतानगर बरेली व नैमचन्द्र पुत्र भूपराम निवासी वाहनपुर व श्यामलाल पुत्र साधूराम निवासी खाता रिठौरा बरेली का नाम अंकित है पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है सम्बन्धित भूमि में कुक्कुट पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है ग्राम चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं है एवं सम्बन्धित आराजी पर कोई शिवाप कियी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है सम्बन्धित ताल/पोखर के रूप में नहीं है अतः अकृषक घोषित किये जाने की सरसुति की है।

वाद दर्ज किया गया पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र एवं तहसीलदार सदर की आख्या का अवलोकन किया गया उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः ग्राम रिठौरा परगना तहसील व जिला बरेली के गाटा संख्या 2212 रक्वा 0.696, 2213 रक्वा 0.008, 2214 रक्वा 0.008, 2215 रक्वा 0.008, 2216 रक्वा 0.008, 2222क रक्वा 0.392, 2222ख रक्वा 0.392, 2223 रक्वा 1.404, 2224 रक्वा 0.700, 2225 रक्वा 0.457, 2226 रक्वा 0.893 को अकृषक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति सवरजिस्टार को भेजी जाये। वाद अमलदरागद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक-07-11-08

उप जिलाधिकारी

बरेली

उप जिलाधिकारी सदर  
बरेली

जमुना प्रसाद 6/11/08  
6/11/08  
6/11/08  
6/11/08  
6/11/08  
6/11/08  
6/11/08  
6/11/08



मकान आवंटन दिनांक 16/3/09 (खामोशी)

न्यायालय एवं जिलाधिकारी कक्ष बरेली ।

बाद सं० 37 /08-09 अन्तर्गत धारा 143 जेठपुस्तकधारक  
जाराबो ग्राम - रिठौरा, वर० व तह० बरेली ।  
श्री मोतराम स्मारक ट्रस्ट द्वारा अधिसूचना कुंआर गुप्ता काम - बरेली  
संबन्धित आदेश ।

श्री मोरम कुंआर गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण कुंआर गुप्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र  
इस जांच का दिया गया कि ग्राम रिठौरा के गांवा सं० 2230 रकबा 0.44।  
है व 2232 रकबा 0.658 है। पर श्री मोरम राम स्मारक ट्रस्ट नो-19 रकबा  
नं० बरेली द्वारा अधिसूचना कुंआर गुप्ता पुत्र श्री मोरम गुप्ता निवासियों  
नो-9, बरेली के नाम पर है । उक्त भूमि धारा 143 जेठपुस्तक  
धारक के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23-6-08 द्वारा अधिसूचना को  
पा सुका है । उक्त भूमि को शैक्षिक कार्य के उपयोग में लाने हेतु पूर्व पारित  
आदेश दिनांक 23-6-08 में अतिरिक्त संशोधन करने को सुझा है ।

पत्राक्यों का अकॉउन्ट किया गया तथा बाकी को सुना। न्यायालय में  
पूर्व पारित आदेश दिनांक 23-6-08 में वारिंशिक संशोधन किया जाना  
न्यायोचित है ।

आदेश

अतः ग्राम रिठौरा वर० व तह० बरेली के गांवा सं० 2230 रकबा  
0.44। है व 2232 रकबा 0.658 है। के 1/2 भाग को शैक्षिक कार्य हेतु उपयोग  
में लाया जायेगा । धारा 143 जेठपुस्तकधारक के अन्तर्गत पूर्व पारित  
आदेश दिनांक 23-6-08 में तदनुसार अतिरिक्त संशोधन किया जाता है ।  
आदेश को एक प्रति सब रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी । पत्राक्यों बाद अगवदराम  
दाकि दफ्तर हो ।

आदेश जारी किया गया

16/3/09

दिनांक :- 16-3-09

अन्ति कुंआर  
जिलाधिकारी-बरेली

- 1- नाम सौरभ गुला
- 2- दिनांक 6/3
- 3- 17/3/09
- 4- 17/3/09
- 5- 17/3/09
- 6- 13/-
- 7- 13/-
- 8- 13/-
- 9- 13/-



नकल कोर्ट दिनांक 16/3/09 (हस्ताक्षर)

न्यायालय अजिमाधिकारी कर बरेली ।

बाब ई० १४ १०४-०९

घारा 143 पैठण एस्टाब्लिशमेंट

आराजी ग्राम रिठौरा तहसील जिला बरेली

श्री जोहराम स्मार्क ट्रस्ट नाम सरकार

अर्शाहित आदेश

श्री सोरभ कुमार गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण कुमार गुप्ता निवासी को-११९ रस्ता नगर बरेली द्वारा एक प्रार्थना पत्र सह आशय का दिया गया कि गांजा ई० 2212 रस्ता 0.596 हे०, 2213 रस्ता 0.008 हे०, 2214 रस्ता 0.008 हे०, 2215 रस्ता 0.008 हे०, 2216 रस्ता 0.008 हे०, 2222 रस्ता 0.392 हे०, 2222 का रस्ता 0.392 हे०, 2223 रस्ता 1.404 हे०, 2224 रस्ता 0.700 हे०, 2225 रस्ता 0.457 हे०, 2226 रस्ता 0.893 हे० पर श्री जोहराम स्मार्क ट्रस्ट को-19 रस्ता नगर बरेली द्वारा अथवा कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र स्व० जोहराम गुप्ता निवासी को-19 रस्ता नगर बरेली का नाम दर्ज है। उक्त भूमि घारा 143 पैठण एस्टाब्लिशमेंट के अन्तर्गत आदेश दिनांक 7-11-08 अर्शाहित घोषित की जा चुकी है। उक्त भूमि को शैक्षिक कार्य के उपयोग में लाने हेतु पूर्व पारित आदेश दिनांक 7-11-08 में अर्शाहित घोषण करने को कृपा करें।

पत्रावली का जकोकल किया गया, तथा बाबों को बुला। न्यायपालिका में पूर्व पारित आदेश दिनांक 7-11-08 में अर्शाहित घोषण किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः ग्राम रिठौरा परत व तहसील बरेली के गांजा ई० 2212 रस्ता 0.596 हे०, 2213 रस्ता 0.008 हे०, 2214 रस्ता 0.008 हे०, 2215 रस्ता 0.008 हे०, 2216 रस्ता 0.008 हे०, 2222 का रस्ता 0.392 हे०, 2222 का रस्ता 0.392 हे०, 2223 रस्ता 1.404 हे०, 2224 रस्ता 0.700 हे०, 2225 रस्ता 0.457 हे०, 2226 रस्ता 0.893 हे० को शैक्षिक कार्य हेतु उपयोग में लाया जायेगा। घारा 143 पैठण एस्टाब्लिशमेंट के अन्तर्गत पूर्व पारित आदेश दिनांक 7-11-2008 में तदनुसार अर्शाहित घोषण किया जाता है। आदेशको एक प्रॉप्टेन बन रजिस्ट्रार को भेजो जाये। पत्रावली बादअमलदरामप दालिब दफ्तर ली।

दिनांक :- 16/3/09

अर्शाहित अजिमाधिकारी

अर्शाहित अजिमाधिकारी - कर बरेली ।

- 1-बाबों का नाम सोरभ कुमार
- 2-दिनांक 16/3/09
- 3-दिनांक 17/3/09
- 4-दिनांक 17/3/09
- 5-दिनांक 17/3/09
- 6-दिनांक 13/
- 7-दिनांक 13/
- 8-दिनांक 13/
- 9-दिनांक 13/

स्थापित उप जिलाधिकारी के लिये भेजा है।

पत्र सं. 100/7-30 धारा 143 डी. ए. ए. आर. एक्ट  
ग्राम रिठौरा परगना तहसिल जेठ  
जातिराम स्मारक ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता के नाम पर तहसील  
बकाल-निर्णय



कृष्ण कुमार गुप्ता नि० 19 एकता नगर जेठो डाटा एन प्राथमिक  
पत्र 143 डी. ए. ए. आर. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। जिसमें  
जॉर्ज तहसीलदार सदर ने कथक्यों। तहसीलदार सदर ने अपनी जॉर्ज आख्या  
में अंकित किया है कि ग्राम रिठौरा पर. तह. बरेलों के गाटा सं० 2230  
रकवा 0.441 हे०, 2232 रकवा 0.658 हे० भूमि पर जीतराम स्मारक  
ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र जीतराम गुप्ता नि० की 19  
एकतानगर जेठो व चरन सिंह, लोटन सिंह पुत्रगण जोगराव नि० खतका  
मजरा ग्राम का नाम अंकित है पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, वर्तमान  
में गाटा सं० 2230 पर आवादी है तथा गाटा सं० 2232 के 1/2 भाग  
में आवादी है तथा शीघ्र भूमि खाली पड़ी है। सम्बन्धित भूमि में कुक्कुट  
पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है ग्राम चण्दन्दी प्रक्रिया में भी नहीं  
है एवं सम्बन्धित आराजी पर कोई विवाद किसी न्यायालय में विचारा  
धीन नहीं है। अतः उक्त गाटा संख्या को अधिक प्रोचित किये जाने  
की संस्तुति की है।

वाद धर्म किया गया तथा पत्रावली पर उक्त व्यक्तित्वों का प्राथमिक  
पत्र एवं प्राथमिक पत्र का अवलोकन किया तहसीलदार की आख्या अनुसार  
उक्त गाटा संख्याओं, दिवस को अधिक प्रोचित किया जाना न्यायोचित  
है।

आदेश

अतः तहसीलदार सदर की आख्या से तदनुगत होते हुए ग्राम  
रिठौरा परगना तहसिल बरेलों के गाटा सं० 2230 रकवा 0.441 हे०  
2232 रकवा 0.658 हे० भूमि का 1/2 भाग 0.329 हे० भूमि को अधिक  
प्रोचित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तब रजिस्ट्रार को प्रेषित  
की जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक :-

उप जिलाधिकारी के लिये भेजा है।

आदेश प्राप्त प्रमाणित

का नाम जयप्रकाश प्रसाद सिंह  
2-1-1950 तक 553  
3-1-1950 तक 231/9/00  
4-1-1950 तक 231/10/02  
5-1-1950 तक 231/10/02

150  
शुभचिन्तक जयप्रकाशसिंहजी

